रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 6] नई दिल्ली, फरवरी 24—मार्च 2, 2019, शनिवार/फाल्गुन 5—फाल्गुन 11, 1940
No. 6] NEW DELHI, FEBRUARY 24— MARCH 2, 2019 , SATURDAY/ PHALGUNA 5 —PHALGUNA 11, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2019

का.नि.आ. 26.—केंद्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976(यथा संशोधित 1987) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में मानकीकरण निदेशालय, नई दिल्ली के निम्नलिखित प्रकोष्ठ को, जिसके 80 प्रतिशत अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:-

रक्षा मानकीकरण प्रकोष्ठ,

जी.टी.आर.ई. कैम्पस

सी.वी.रमन नगर

बेंगलूरू- 560093

[सं.5 (2) 2011-रक्षा (रा.भा.-2)]

आनंद प्रकाश मिश्र, संयुक्त निदेशक(रा.भा.),

“Level in Pay Matrix
(4)
Level - 4 (Rs. 25500 - 81100)”;

(B) in column (12),—

(i) for the words, letters and figures “pay band-1, Rs. 5200 – 20200 and grade pay Rs. 1900” , the words, figures, brackets and letters “level-2 (Rs. 19900 - 63200) in the pay matrix” shall be substituted;

(ii) “Note 1” shall be omitted;

(II) against serial number 2, relating to the post of Lower Division Clerk, -

(A) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely, —

“Level in Pay Matrix
(4)
Level - 2 (Rs. 19900 - 63200)”;

(B) in column (11) and column (12), for the words and figures “grade pay of Rs. 1800” , the words, figures, brackets and letters “level - 1 (Rs. 18000 - 56900) in the pay matrix” shall be substituted;

(C) “Note” in column (12) shall be omitted.

[F. No.A/86320/RR/Clerical/DGQA/Adm-10/59/D(QA) /2019]

JAYASREE C. R, Under Secy.

Note : The Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group ’C’ (Clerical) post Recruitment Rules, 2010, were published vide notification number S.R.O. 26, dated the 14th Jun, 2010, Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated 14th June, 2010 and was subsequently amended vide notification number S.R.O. 25, dated the 01st May, 2012.

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2019

का.नि.आ. 28.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय सिविलियन मोटर चालक (विशेष श्रेणी)/ सिविलियन मोटर चालक (परीक्षण और प्रमाण)(विशेष श्रेणी) समूह ‘ख’ पद भर्ती नियम, 2012 और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समूह ‘ग’ (सिविलियन मोटर चालक), पद भर्ती नियम, 2011 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय में सिविलियन मोटर चालक समूह ‘ख’ और समूह ‘ग’ के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय, [सिविलियन मोटर चालक] समूह ‘ख’ और समूह ‘ग’ पद भर्ती नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना** .— ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगें।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि**.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता**.— वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति**.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति**.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	**पद संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1. सिविलियन मोटर चालक (विशेष श्रेणी)/ सिविलियन मोटर चालक (परीक्षण और प्रमाण)(विशेष श्रेणी)	22* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 6 (35400-112400 रु.)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 5 (29200-92300 रु.) में ऐसे सिविलियन मोटर चालक श्रेणी-1 / सिविलियन मोटर चालक श्रेणी-1 (परीक्षण और प्रमाण) जिन्होंने भारी यान चलाने के लिए प्रवीणता परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के साथ नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छः वर्ष की सेवा की है। **टिप्पण** : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (यान), अहमदनगर – अध्यक्ष 2. उप नियत्रंक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (इंजिनियरी उपस्कर), पुणे – सदस्य 3. प्रशासन निदेशालय, मुख्यालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय से उप निदेशक - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
2. सिविलियन मोटर चालक श्रेणी -1/ सिविलियन मोटर चालक श्रेणी – 1 (परीक्षण और प्रमाण)	150* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 5 (29200-92300 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 4 (25500 - 81100 रु.) में ऐसे सिविलियन मोटर चालक श्रेणी-II /सिविलियन मोटर चालक श्रेणी-II (परीक्षण और प्रमाण) जिन्होंने भारी यान चलाने के लिए प्रवीणता परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के साथ नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की है। **टिप्पण** : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ट व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (यान), अहमदनगर - अध्यक्ष 2. दो समूह 'क' अधिकारी जिनमें से प्रत्येक यान विद्या से भिन्न दो अलग- अलग स्थापनों से हों – सदस्य 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (यान), अहमदनगर – सदस्य 4. प्रशासनिक निदेशालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय मुख्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सिविलियन मोटर चालक श्रेणी -II/ सिविलियन मोटर चालक श्रेणी – II (परीक्षण और प्रमाण)	128* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 4 (25500-81100 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 2 (19900 - 63200 रु.) में ऐसे सिविलियन मोटर चालक (साधारण श्रेणी) जिन्होंने भारी यान चलाने के लिए प्रवीणता परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के साथ नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की है । **टिप्पण** : जहा ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ट व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (यान), अहमदनगर - अध्यक्ष 2. दो समूह 'क' अधिकारी जिनमें से प्रत्येक यान विद्या से भिन्न दो अलग- अलग स्थापनों से हों – सदस्य 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (यान), अहमदनगर – सदस्य 4. प्रशासनिक निदेशालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय मुख्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. सिविलियन मोटर चालक (सामान्य श्रेणी)	128* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 2 (19900-63200 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)
27 वर्ष से अधिक नहीं होगी (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) । **टिप्पण 2** :रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उन पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति की दशा में प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

(8)
I. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (10 वीं कक्षा उत्तीर्ण) की हो । II. चालन में व्यवसायिक रुप से कुशल, मोटर यांत्रिकी का ज्ञान, साधारण रुप से चुस्त हो और चालन में कम से कम चार वर्ष के अनुभव के साथ कार चालन और भारी यान चालन के लिए विधिमान्य स्थायी अनुज्ञातिधारक हो। **टिप्पण** : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (यान), अहमदनगर - अध्यक्ष 2. दो समूह 'क' अधिकारी जिनमें से प्रत्येक यान विद्या से भिन्न दो अलग- अलग स्थापनों से हों – सदस्य 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (यान), अहमदनगर – सदस्य 4. प्रशासनिक निदेशालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय मुख्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं.ए/86320/आर.आर./सी एम डी/डीजीक्यूए/प्रशा-10/58/डी(क्यू.ए.)/2019]

जयश्री सी. आर., अवर सचिव

New Delhi, the 30th January, 2019

S.R.O. 28.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Civilian Motor Driver(Special Grade)/Civilian Motor Driver(Test and Proof) (Special Grade)] Group`B'post Recruitment Rules, 2012 and the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'C' (Civilian Motor Drivers) posts Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group

'B' and Group 'C' posts of Civilian Motor Driver, in the Department of Defence Production (Directorate General of Quality Assurance), namely:—

1. **Short title and commencement.—**(1)These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance [Civilian Motor Driver] Group`B' and Group 'C' posts Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application .—** These rules shall apply to posts specified in column(1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix .—**The number of said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc**.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.—**No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax**.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	**Number of the post**	**Classification**	**Level in the pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1. Civilian Motor Driver (Special Grade) /Civilian Motor Driver (Test and Proof) (Special Grade)	22* (2019) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 6 (Rs.35400-112400)	Selection

Age limit for direct recruits	**Educational and other qualifications required for direct recruits**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees**	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment – whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not Applicable	Not Applicable	Not applicable	Two years	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made
(11)
Promotion: Civilian Motor Driver Grade-I/ Civilian Motor Driver Grade-I (Test and Proof) in the level 5 (Rs. 29200-92300) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis who have successfully passed the proficiency test for driving heavy vehicles. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of :— (1) Controller, Controllerate of Quality Assurance (Vehicles), Ahmednagar - **Chairman;** (2) Deputy Controller, Controllerate of Quality Assurance (Engineering Equipment), Pune - **Member;** (3) Deputy Director from Administration, Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance - **Member.**	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Civilian Motor Driver Grade-I or Civilian Motor Driver Grade-I (Test and Proof)	150* (2019) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 5 (Rs. 29200-92300)	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)
Promotion: Civilian Motor Driver Grade-II or Civilian Motor Driver Grade-II (Test and Proof) in the level 4 (Rs. 25500- 81100) having five years regular service in the grade and after passing the proficiency test for driving heavy vehicles. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of :— (1) Controller, Controllerate of Quality Assurance (Vehicles), Ahmednagar - **Chairman;** (2) Two Group 'A' Officers one each from two separate Establishments other than the Vehicle Discipline - **Members;** (3) Senior Administrative Officer, Controllerate of Quality Assurance (Vehicles), Ahmednagar - **Member;** (4) A Group 'A' Officer from Administration Directorate, Headquarters Directorate General of Quality Assurance - **Member.**	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Civilian Motor Driver Grade-II or Civilian Motor Driver Grade-II (Test and Proof)	128* (2019) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 4 (Rs. 25500-81100)	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)
Promotion: Civilian Motor Driver (Ordinary Grade) in the level 2 (Rs. 19900-63200) in pay matrix having eight years regular service in the grade and after passing the proficiency test for driving heavy vehicles. **Note** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of :— (1) Controller, Controllerate of Quality Assurance (Vehicles), Ahmednagar - **Chairman;** (2) Two Group 'A' Officers one each from two separate Establishments other than the Vehicle Discipline - **Members;** (3) Senior Administrative Officer, Controllerate of Quality Assurance (Vehicles), Ahmednagar - **Member;** (4) A Group 'A' Officer from Administration Directorate, Headquarters Directorate General of Quality Assurance - **Member.**	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Civilian Motor Driver (Ordinary Grade)	128* (2019) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 2 (Rs. 19900 - 63200)	Not Applicable	Not Applicable

(7)
Not exceeding twenty Seven years (Relaxable for department candidates up to the age of forty years in case of general candidates and forty-five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates). **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shll be the closing date for receipt of applications from the candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir States, Lahaul and Spiti districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep). **Note 2:** In the case of the recruitment made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the date up to which the Employment Exchanges is asked to submit the names.

(8)
(i) Matriculation (10th Class Pass) from any recognised Board. (ii) Professional skill in driving, knowledge of motor mechanics, general smartness and holding of a valid permanent Licence for driving cars and heavy vehicles, with at least four year's experience in driving. **Note** : The qualification regarding experience is relaxable for the reasons to be recorded in writing at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Schedule Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years for direct recruits	By Direct Recruitment

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— (1) Controller, Controllerate of Quality Assurance (Vehicles), Ahmednagar - **Chairman;** (2) Two Group 'A' Officers one each from two separate Establishments other than the Vehicle discipline - **Members;** (3) Senior Administrative Officer, Controllerate of Quality Assurance (Vehicles), Ahmednagar - **Member;** (4) A Group 'A' Officer from Administrative Directorate, Headquarters Directorate General of Quality Assurance - **Member.**	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No.A/86320/RR/CMD/DGQA/Adm-10/ 58/D(QA) /2019]

JAYASREE C. R, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2019

का.नि.आ. 29.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ग' पद (स्टेच्यूटरी कैंटीन स्टाफ) भर्ती नियम, 2012 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ग' पद (स्टेच्यूटरी कैंटीन स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ग' पद (स्टेच्यूटरी कैंटीन स्टाफ) भर्ती नियम, 2012 में –

(क) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—